16

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0

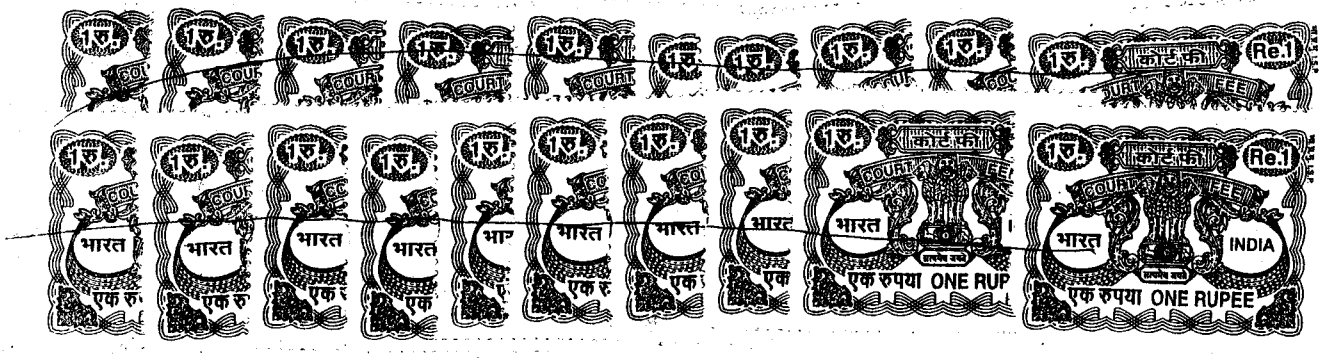

A-5026-II/16

अनन्त कुमार सिंह पिता श्री लछिमन सिंह निवासी मकरोहर, तहसील सिगरौली, जिला - सिगरौली म0प्र0 --------- अपीलार्थी

बनाम

शासन म0प्र0 --------- उत्तरवादी

श्री राजेन्द्र पाण्डेय एड0 द्वारा आज दिनांक 8-2-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय के प्रकरण क्र0 65/पुनरस्थापना/ 15-16 में पारित आदेश 5-1-2016 के विरुद्ध ।

अन्तर्गत धारा 35(4) एम.पी.एल.आर.सी.

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य यह है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी के सिगरौली जिला -सीधी (वर्तमान सिगरौली) के प्र0 क्र0 99/अपील/2006-07 मे पारित आदेश 24-7-2007 के विरुद्ध अपील म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा 44(2) के अन्तर्गत अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कीगई थी, अधिवक्ता के न्यायालय मे उपस्थित न होने के कारण प्रकरण 35(3) के तहत अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया जिसे पुनरस्थापन हेतु आवेदन पत्र 35(3) एम0पी0एल.आर.सी. के तहत प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र समय बाधित मानकर निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध श्री मान जी के समक्ष ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 5056–दो/16 जिला – सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
03–04–17	अपीलांट अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपीलांट द्वारा यह अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 65/पुर्नस्थापना/15–16 में पारित आदेश दिनांक 05–1–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने दिनांक 15–7–11 को अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया था जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा चार वर्ष पश्चात विलंब से पुर्नस्थापन आवेदन पेश किया जिसे अपर आयुक्त ने विलम्ब का कारण समाधानकाकर नहीं मानते हुये खारिज किया है। इस न्यायालय में भी अपीलांट द्वारा चार वर्ष के विलम्ब का कोई समाधान कारक कारण नहीं दर्शाया है। अदम पैरवी के पश्चात चार वर्ष से प्रकरण पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तुत करना अपीलांट की घोर उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। जहां अपीलांट अपने हितों के प्रति सजग न हो वहां चार साल के लम्बे विलम्ब को बिना समाधान कारक कारण दर्शाये माफ नहीं किया जा सकता। दर्शित परिस्थितियों अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	